छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013 (चैत्र 1,1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन :-

(i) मार्च,2011 को समाप्त वर्ष के लिये मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन क्रमांक-4) छत्तीसगढ़ शासन.

(ii) 31 मार्च,2012 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक-1) छत्तीसगढ़ शासन.

(iii) 31 मार्च,2012 को समाप्त वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक-2) छत्तीसगढ़ शासन.

(iv) 31 मार्च,2012 को समाप्त वर्ष के लिये (राज्य वित्त)(वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन क्रमांक-1) छत्तीसगढ़ शासन **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री,छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-09/2012/32, दिनांक 4 मार्च,2013 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखेंगे.**

(4) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 2009-10 **पटल पर रखेंगे.**

क्रमश: 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, जिला-रायपुर राजस्व निरीक्षक मंडल, खरोरा में शासकीय भूमि का अवैध रूप से विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार साहू,सदस्य,रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डुमरतराई में भू-स्वामी की बिना सहमति के व्यवसायिक कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, रायपुर शहर में मेसर्स अटलमान डेवलपर्स द्वारा भू-खंडों का अवैध विक्रय किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन न होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, महासमुंद जिले में धान खरीदी केन्द्र से भंडारण केन्द्र तक धान परिवहन में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री देवजी पटेल, सदस्य, जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर से संबद्ध समिति प्रबंधकों से नियम विरूद्ध वसूली किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य, जिला-महासमुंद में आदिवासियों की जमीन की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, जिला-जांजगीर-चांपा अंतर्गत तेंदूभाठा-मड़वा में आंदोलनकारी किसानोंको पुलिस द्वारा पीटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, देवजी पटेल, सदस्य, अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिता हेतु टीम की चयन प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला-कबीरधाम में संचालित सेवा सहकारी समितियों को शासन की गलत नीतियों के कारण नुकसान होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री देवजी पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित मार्कफेड के भंडारगृह में खाद प्राप्त किये बिना ही खुले बाजार में बेचे जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, लेखराम साहू, सदस्य, जिला बालोद के डौण्डी-लोहारा विकासखण्ड की स्कूलों में सीसीई पोर्टफोलियो की सामग्री खरीदने में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री रामदेव राम, सदस्य, जिला-सरगुजा में मुफ्त ट्यूबवेल खनन के नाम पर किसानों को ठगे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य, जिला-राजनांदगांव अंतर्गत साहूकारों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

(15) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, बिलासपुर संभाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, जिला-जांजगीर-चांपा में शासकीय भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिका की प्रस्तुति

श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डुड़गा से कोसला पहुंच मार्ग निर्माण करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री बद्रीधर दीवान,सभापति,सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति,प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति प्रस्ताव करेंगे कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि -सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(5) श्री दीपक कुमार पटेल,सभापति,विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि - डॉ . अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(6) श्री बद्रीधर दीवान,सभापति,सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति,प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 17.9.2012 को माननीय सदस्य श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर से श्रीमती रानू साहू (मौर्य) अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा किये असम्मानजनक व्यवहार संबंधी प्रकरण पर सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

क्रमश: 4

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 342 के सरल क्रमांक 16 में धुरू, धुरूवा, धोबा, धूलिया के आगे धुरी, धूरी को सम्मिलित किया जाय."

30 मिनट (2) श्री देवजी पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया जाय."

30 मिनट (3) श्री दीपक कुमार पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 के सरल क्रमांक 10 में बेलदार, सुनकर के पश्चात् 'सोनकर' स्थापित किया जाय."

30 मिनट (4) श्रीमती अंबिका मरकाम,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर से अभनपुर, धमतरी, केरेगांव, दुगली,गट्टासिल्ली, बिरगुड़ी, नगरी, सिहावा, बोरई, घुटकेल, लिखमा, भारन होते हुए (उड़ीसा) रायगढ़ तक रेल लाईन बनाई जाय।"

30 मिनट (5) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "सरायपाली से सारंगढ़ तक फोरलेन मार्ग का निर्माण किया जाय।"

रायपुर
दिनांक 21 मार्च, 2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.